ई–मेल

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या–प्रशि.प्रको. / विस्तार / 2017–18 / 6876 लखनऊः दिनांक 06/10/ 2017

विस्तार

–:: आदेश ::–

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 157 / सेक–2–पॉच–14–7(255) / 13, दिनांक 13.01.2014 एवं शासनादेश संख्या–1858 / सेक–2–पांच–17–7(67) / 2017, दिनांक 22.06.2017 सपठित शासनादेश संख्या–1961 / सेक–2–पॉच–14–7(255) / 13, दिनांक 18.06.2014 एवं संख्या–965 / सेक–2–पॉच–16–7(255) / 2013, दिनांक 10.03. 2016 में अंकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन **निम्नलिखित परामर्शी विशेषज्ञों को एक वर्ष की अवधि 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा नियमित चिकित्सा अधिकारी की तैनाती होने तक, जो भी पहले हो, के लिए सेवा विस्तार किया जाता है। एक वर्ष की अवधि की गणना, सेवा में निरन्तरता बनाये रखने वाले परामर्शियों के लिए पूर्व सेवा नियोजन / विस्तार के अंतिम दिन अथवा योगदान की तिथि से की जायेगी, को एतद्द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों / शर्तों के अधीन विस्तार किया जाता है।**

1– पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नही दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।

(2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नही देय होगा।

(3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।

(4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भॉति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम–16–ए में प्राविधानित है।

(6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं / आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।

(7) जनपदवार / विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भॉति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।

(8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नही की जाएगी। इसका उल्लघंन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।

2– सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच / न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।

3- सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

4– यदि किसी चिकित्सक द्वारा विस्तार के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाय।

5– विस्तार विशेषज्ञ परामर्शी को जारी आदेश की तिथि से 15 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में विस्तार पद पर सेवा में योगदान कर लें, यदि 15 दिनों में सेवा में योगदान नहीं करते हैं, तो यह माना जायेगा कि सम्बंधित परामर्शी कार्य करने के इच्छुक नहीं है और उनके विस्तार को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त तिथि	विशेषज्ञता	चिकित्सालय/ जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6	8
1.	डा0 शशि कुमार राय – 9468 क	श्री लाल बहादुर राय	01.01.1956	31.12.2015	डी0सी0एच0	जिला महिला चिकित्सालय, देवरिया
2.	डा0 सुनहरी लाल – 9136	स्व0 सीता राम	14.04.1954	30.04.2014	डी0एम0आर0ई0	एस0एन0एम0 जिला चिकित्सालय एवं क्षयरोग्याश्रम, फिरोजाबाद
3.	डा0 मधुर सिन्हा – 4259	स्व0 एन0एम0 लाल	22.07.1954	31.07.2014	एम0एस0 (आब्स एंड ग्याइनी)	वीरांगना झलकारी बाई चिकित्सालय लखनऊ
4.	डा0 अजय कुमार श्रीवास्तव–5213	स्व0 जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव	02.08.1955	31.08.2015	एम0एस0 (आर्थो, सर्जरी)	डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ
5.	डा0 किशोर कुमार कटियार–6830	स्व0 राज कुमार कटियार	01.01.1954	31.12.2013	डिप कार्ड	बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ
6.	डा0 कन्हैया लाल गुप्ता – 4655	स्व0 बांके लाल गुप्ता	20.07.1953	31.07.2013	एम0डी0 (मेडिसिन)	बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ
7.	डा0 अवध बिहारी वर्मा – 5241	स्व0 देवी दीन वर्मा	30.05.1954	31.05.2014	डी0एम0आर0डी0	बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ
8.	डा0 मधुर चन्द्र–7396	स्व0 नत्था प्रसाद कुरील	02.10.1956	31.10.2016	डी0ए0	जिला महिला चिकित्सालय गाजियाबाद
9.	डा0 स्नेहलता सिंह–5160	डा0 अरूण कुमार सिंह	25.09.1954	30.09.2014	एम0 एस0 आपथोमोलाजी	लोक बन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, कानपुर रोड, लखनऊ
10.	डा0 गनेशी अग्रवाल–5258	श्री ग्यारसी लाल अग्रवाल	06.08.1954	31.08.2014	डी0पी0एच0	लोक बन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, कानपुर रोड, लखनऊ
11.	डा0 योगेन्द्र प्रसाद गुप्ता–6767	श्री रामचन्द्र प्रसाद	30.08.1954	31.08.2014	डी0ओ0एम0एस0	जिला चिकित्सालय मऊ
12.	डा0 गुलमाला जैन – 5659	श्री पी0एस0 जैन	22.07.1954	31.07.2014	डी0जी0ओ0	जिला महिला चिकित्सालय गाजियाबाद
13.	डा0 शिशिर –4528	डा0 सत्य कुमार	28.04.1954	30.04.2014	डी0एल0ओ0	भाऊ राव देवरस चिकित्सालय लखनऊ
14.	डा0 गिरधर दास – 6665	स्व0 केशव प्रसाद	30.07.1954	31.07.2014	एम0डी0 (पैथालोजी)	भाऊ राव देवरस चिकित्सालय लखनऊ